न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :152/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/213)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. सर्वजीत सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 14 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः– 30.05.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 30.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 में वादी के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी की बहिन का नाम राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम रविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह दर्ज है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कौर उर्फ रविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादी के प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1180 दिनांक 23.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 व भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 14 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 में क्रम संख्या 2 पर राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। ससुराल में प्रार्थिया का नाम रविन्द्र कौर है। जबकि पीहर में प्रार्थिया का नाम राजेन्द्र कौर है। दोनों नाम एक ही औरत के है। प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। साक्ष्यवादी में गवाह परमिन्द्र सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए सामिल मिसल किए गए।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कौर उर्फ रविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह दर्ज करवाए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 14 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 में क्रम संख्या 2 पर राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। ससुराल में प्रार्थिया का नाम रविन्द्र कौर है। जबकि पीहर में प्रार्थिया का नाम राजेन्द्र कौर है। दोनों नाम एक ही औरत के है। प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कौर उर्फ रविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सर्वजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 152/2025

निर्णय दिनांक :- 30.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/64 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम राजेन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कौर उर्फ रविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 30.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/331

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर